



# ग्रामीण सेवा शिविर -2025'

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर आवूपर्वत  
(पीठासीन अधिकारी ग्रामीण सेवा शिविर/कैम्प कोर्ट - )  
-: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का खिवली भू. अ. निरीक्षक किवरली की रिपोर्ट तथा तहसीलदार देलदर की अनुसंधान के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसारण में ग्राम खिवली भू. अ. निरीक्षक वृत्त किवरली तहसील देलदर जिला सिरौही की जमाबन्दी सम्वत 2074-77 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:-

क. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	खिवली	357	कुबाराफ, राफा राफ पुत्र मोती राफ जेरकी, पोखी, वीरु पुत्री मोती राफ जाति - थुर्प राफ सा.डेह — शेष बन्दस्तूर —	कुबाराफ, राफा राफ पुत्र मोती राफ जेरकी, पोखी, वीरु पुत्री मोती राफ जाति - रेवरी, सा.डेह खातेदार — शेष बन्दस्तूर —

(डॉ. अंशु प्रिया)

आई.ए.एस.

पीठासीन अधिकारी

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

उपखण्ड अधिकारी

एवं पदेन सहायक कलेक्टर आवूपर्वत

दिनांक- 09.2025

8.10.2025

कमांक/ग्रा.से.शि./कोर्ट/2025/193

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार देलदर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से अवगत करावे।
2. प्रार्थी श्री कुबाराफ पुत्र मोती राफ कोर्ट को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

उपखण्ड अधिकारी

एवं पदेन सहायक कलेक्टर आवूपर्वत

